तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/8/17		

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उप0। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अधिवक्ता उप0।
विप्रार्थी संख्या 6 राज पैरोकार उप0।
उभय पक्ष को सुना।

प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत ग्राम– अमरसिंह की ढाणी, पटवार हल्का भीयाड़, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 1167/1084, 1160/1083, 1163/1084, 1162/1083, 1157/1083, 1164/1084 रकबा क्रमशः 124, 91, 125, 11, 61.10, 75 बीघा का आया हुआ है, जो भूमि प्रार्थीगण पेतृक है जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टाके, लाटा आदि बने हुऐ है।

जिसका प्रार्थी जो परिशिष्ट ब के अनुसार दर्शाया गया है व गलत है प्रार्थीगण का वर्तमान में मौके पर कब्जा काश्त परिशिष्ट अ के अनुसार है। इसलिए प्रार्थीगण के खेत की पूर्व मे की गई गलत तरमीम को निरस्त कर परिशिष्ट अ के अनुसार कब्जा काश्त व मौजूदा तरमीम के अनुसार की जावें।

तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट आया है कि पटवार मण्डल भीयाड़ के राजस्व ग्राम अमरसिंह की ढाणी के खसरा नम्बर 1167/1084, 1160/1083, 1163/1084, 1162/1083, 1157/1083, 1164/1084 रकबा क्रमशः 124, 91, 125, 11, 61.10, 75 बीघा भूमि की जो पूर्व मे तरमीम की हुई है वह मौके की स्थिति अनुसार नही है तथा संलग्न पेश नक्शा के अनुसार पक्षकारान काबिज होने से व सभी खातेदारो की आपसी सहमति से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त ढाणियां व ट्युबवेल बने होने से तरमीम बदले जाने मे कोई आपति नही है। परिशिष्ट अ अनुसार दुरूस्त किया जाना किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार शिव ने अपने जबाव मे प्रार्थी के खेत की तरमीम को दुरूस्त किये जाने मे अनापति जाहिर की है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा विप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी के खेत की तरमीम को सही किया जाना उचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्बासर तह0 शिव की खेत खसरा नम्बर 1167/1084, 1160/1083, 1163/1084, 1162/1083, 1157/1083, 1164/1084 रकबा क्रमशः 124, 91, 125, 11, 61.10, 75 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड मे अंकित रकबा तथा लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए निम्नानुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है :–

क्र.स.	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान	खातेदार	रंग
1.	1163/1084	121.06	बा.सो.	7.28	खेतसिंह वल्द कानसिंह कौम राजपूत,सा. देह खातेदार	लाल
2.	1160/1083 1163/1084	58.01 3.14	बा.सो. बा.सो.	3.48 0.22	जुझारदेवसिंह वल्द नेराजसिंह कौम राजपुत, सा.देह खातेदार	गुलाबी
योग:–	2	61.15	–	3.70	–	–
3.	1160/1083 1167/1084	32.19 28.16	बा.सो. बा.सो.	1.98 1.73	गजसिंह वल्द तनेराजसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार	हरा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

योगः–	2	61.15	–	3.71	–	–
4.	1167 / 1084 1162 / 1083 1157 / 1083	95.04 11.00 15.03	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	5.71 0.66 0.90	रेवन्तसिंह वल्द कानसिंह, कौम राजपुत,सा.देह. खातेदार	आसमानी
योगः–	3	121.07	–	7.27	–	–
5.	1164 / 1084 1157 / 1083	75.00 46.07	बा.सो. बा.सो.	4.50 2.78	देवीसिंह वल्द कानसिंह, कौम राजपुत, सा.देह खातेदार रहन–ICICI शाखा भीयाड़	काला
योगः–	2	121.07	–	7.28	–	–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार शिव द्वारा जवाब के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि की पूर्व मे की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका फर्द मय परिशिष्ट अ अनुसार पुनः नये सिरे से नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। परिशिष्ट अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदा शिव प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः राजस्व रेकर्ड में नये सिरे से तरमीम करते हुये पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड़ अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 11:38:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: